



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13061

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 187/2026

पन्ना देवीयाचिकाकर्ता

बनाम

तहसीलदार, तहसील मधुबन, जिला मऊ एवं 3 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मानस मुकुल, राघवेंद्र त्रिपाठी, रोहित सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-तहसीलदार, मधुबन, जिला मऊ को नामान्तरण (म्यूटेशन) वाद संख्या 772/2022, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202215510300772 (पन्ना देवी बनाम राजेश) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपरोक्त वाद को कानून के अनुसार कड़ाई से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर तय करे, लेकिन बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"